(136)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 446–पीबीआर/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–1–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 194/2004–05/निगरानी.

रामबाबू पुत्र प्रतापसिंह भदौरिया
निवासी गोला का मंदिर, ग्वालियर
जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1– प्रमोद कुमार जैन पुत्र जेनेन्द्र कुमार जैन
निवासी शम्भूमल की बगीची, मुरार
2– मोतीलाल पुत्र कन्हैयालाल
निवासी दौलतगंज, लश्कर, ग्वालियर
3– हितेन्द्रसिंह पुत्र औतारसिंह भदौरिया
निवासी मानहड़ जिला भिण्ड
4– चौधरी धुन्धीसिंह पुत्र रनधीर सिंह
निवासी रनधीरसिंह का पुरा
खेरिया मिर्धा, ग्वालियर
5– वीरेन्द्र सिंह पुत्र करनसिंह
निवासी सिद्धेश्वर नगर
मुरार, ग्वालियर
6– मोतीराम पुत्र सरमनसिंह पाल
निवासी जडेरूआ कला
मुरार, ग्वालियर
7– अरूणसिंह पुत्र प्रीतमसिंह यादव
निवासी मुरार जिला ग्वालियर
8– डॉ0 कौशलेन्द्रसिंह गौड पुत्र आर.एस. गौड
निवासी रवि नगर, ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री आर.एस. गौड़, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 8

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 24/1/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–1–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–12–93 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 4–8–2000 को लगभग 6 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 104/99–2000/अपील दर्ज कर दिनांक 24–1–04 को आदेश पारित कर प्रथम अपील समय–सीमा में मान्य की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 13–4–2005 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 23–1–2006 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 7 वर्ष विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी, और विलम्ब का कारण अनावेदकगण की ओर से नहीं बतलाया गया है, इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील समय–सीमा में मान्य करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, इसलिए उन्हें अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा सहमति के आधार पर बटांकन आदेश पारित किया गया है, और सहमति से पारित आदेश के विरूद्ध अपील नहीं की जा सकती है ।

4/ अनावेदक कमांक 8 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ शेष अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, इसलिए उन्हें आदेश की जानकारी आदेश पारित करते समय नहीं हुई है, विलम्ब क्षमा की गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, इस कारण अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है । इस न्यायालय में समय–सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर यह तीसरी निगरानी प्रस्तुत की गई है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योगय नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–1–2006 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर